राजस्थान–सरकार

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर।

क्रमांकः–भर्ती/UTB/2023/7594 **दिनांकः– 01.08.2023**

–:विज्ञप्तिः–

श्रीमान शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप–2) विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांकः प.14 (1) चिस्वा/2/2023/राजकाज–940/पार्ट–4 जयपुर दिनांक 13.07.2023 के द्वारा चिकित्सकों, प.14 (1) चिस्वा/2/2023 दिनांक 02.02.23 के द्वारा दन्त चिकित्सकों एवं श्रीमान् निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के पत्रांकः अराज/यूटीबी/2023/369 दिनांक 24.07.2023 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार, नर्सिंग संवर्ग नर्सिंग ऑफिसर (जीएनएम) एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) के स्पष्ट रिक्त पदों को आवश्यक अस्थाई आधार यूटीबी पर विभाग के समसंख्याक आदेश प. 1(1) चिस्वा/2/2014 दिनांक 04.10.2014 एवं 09.11.2017 की पालना में उक्त पदों के लिये विज्ञप्ती जारी दिनांक से दिनांक **15.08.23** को सांय 06.00 बजे तक दिये गये लिंक https://forms.gle/LGbd4qe6xTrY8xWWA पर आवेदन ऑनलाईन भर सकते है।

पदों को निम्न शर्तों के अध्यधीन भरे जायेंगे

1. उक्त पद दिनांक 31.03.2024 अथवा पदों पर नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो. तक लगाया जायेगा ।
2. यूटीबी आधार पर उक्त पदों को भरे जाने के संबंध में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1965 तथा समय–समय पर संशोधित नियम तथा भर्ती नियम मय अनुभव आधारित बोनस अंक की पालना की जायेगी ।
3. वर्गवार आरक्षण एवं रोस्टर के नियमों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
4. इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी समय–समय पर नियमों/ आदेशों/परिपत्रों आदि की पूर्ण पालना की जायेगी ।
5. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 16(5) एफडी/रूल्स/2014 दिनांक 03.07.2023 के अनुसार वेतन/मानदेय देय होगा ।
6. यूटीबी आधार पर नियुक्ति हेतु चयनित/पात्र कार्मिकों के पदस्थापन प्राथमिकता के आधार पर पूर्णतया पद नव स्वीकृत सीएचसी/पीएचसी ऐसी सीएचसी जहां 50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त है तथा सीमावर्ती/जनजाति क्षेत्रों आदि में स्थित चिकित्सा संस्थानों पर किया जायेगा ।
7. चयन सूची में स्थानीय अभ्यर्थीयों को वरीयता दी जायेगी तथा पदों में कमी की जा सकती है ।
8. अभ्यर्थी राजस्थान मेडिकल कौंसिल/राजस्थान नर्सिंग कौंसिल से आवेदन की अंतिम तिथि तक रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।
9. चयन प्रक्रिया को किसी प्रकार से प्रभावित करने पर उम्मीदवार के आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा। प्रार्थी का जिला स्तरीय कमेटी द्वारा विभाग के रिक्त पद के विरुद्ध जिस स्थान हेतु पदस्थापन किया जायेगा। उसी स्थान पर कार्य करना होगा।
10. पूर्व में किये गये ऑफलाईन आवेदन भी उपरोक्त लिंक पर पुनः आवेदन करने अनिवार्य है अन्यथा ऑफलाईन आवेदनों को भर्ती प्रकिया में शामिल नही किया जावेगा।

पदनाम	**न्यूनतम योग्यता**	**पदों की संख्या**
चिकित्सा अधिकारी	एमबीबीएस एवं आरएमसी काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र	19
चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	बीडीएस एवं आरएमसी का पंजियन प्रमाण पत्र	11
जी.एन.एम.	जीएनएम/ बीएससी नर्सिंग एवं आरएनसी काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र	70
ए.एन.एम.	एएनएम प्रशिक्षण एवं आरएनसी काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र	50

(डॉ0 शंकर एच बामनिया)

क्रमांकः—भर्ती/UTB/2023/7594 दिनांक 01.08.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थ—

1. श्रीमान निदेशक(जन स्वा)/(अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर उदयपुर।
3. श्रीमान संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर।
4. संपादक दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति उदयपुर संस्करण में डीपीआर की दर पर प्रकाशित करावें।
5. कार्यालय प्रति।

(डॉ0 शंकर एच बामनिया)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
उदयपुर (राज0)

RAJEXAMNEWS.COM
JOIN NOW..
@rajexamnewsofficial
@rajexamnewsofficial